डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-213 **New Delhi: 26.05.2021**

सुश्री पूजा चौधरी
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 21.03.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/ टूडला, के कार्यालय मे दिनांक 05.04.2021 को एवं इस कार्यालय मे दिनांक 07.04.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ मे, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:

क्रमांक	क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
1	1-4	आरटीआई आवेदन दिनांक- 07.04.2020 के द्वारा मांगी गई सूचना	रेलसेवा से सेवा निवृत्त कर्मचारी को DFCCIL में पुनः नियोजित आधार पर चयन उपरांत, उसके द्वारा टूडला इकाई मे उपस्थित होकर मुख्यालय द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक महोदय को प्रस्तुत किया जाता है, एवं उनकी सहमती उपरांत से. नि. कर्मचारी को चिकित्सा परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा जाता है एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी मे फिट होने के उपरांत उसकी यूनिट मे कार्य स्थल पर पदस्थापना कि जाती है।
2	5-21		उपर्युक्त विषय पर सुश्री पूजा चौधरी के आरटीआई आवेदन पत्र के संदर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के प्रारंभ मे डीएफसीसीआईएल मे पुनर्नियोजन के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों का जिक्र किया है, परन्तु उन्होंने अपने आवेदन पत्र मे सामान्य कर्मचारियों की तैनाती / स्थानांतरण / विभिन्न भत्तों की पात्रता के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सामान्य सूचना मांगी है। 2. जहां तक डीएफसीसीआईएल मे पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से संबंधित सूचना का संबंध है, यह निम्नानुसार है: 2.1 समूह महाप्रबंधक / महाप्रबंधक/ मुख्य महाप्रबंधक से जब कभी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी (कर्मचारियों) के पुनर्नियोजन का प्रस्ताव प्राप्त होता है, वह विस्तृत होता है और उसमे ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी (कर्मचारियों) जिनका पुनर्नियोजन का प्रस्ताव होता है, के कार्य का विवरण/ औचित्य / विभाग और तैनाती के स्थान का उल्लेख होता है । मौजूदा एचआर नीति परिपत्र संख्या 29/2019 दिनांक 01/10/2019 के अनुसार उस प्रस्ताव की जांच की जाती है। पुनर्नियोजन की पात्रता, मूल मासिक वेतन का निर्धारण, भत्ता (भत्तों), यदि कोई हो, की पात्रता इस एचआर परिपत्र के अनुसार तय की जाती है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्ति एवं तैनाती (Offer Letter-Cum Posting Letter) पत्र जारी किया जाता है। तत्पश्चात, संबंधित समूह महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक, यदि कोई हो, द्वारा स्थानीय तैनाती आदेश जारी किए जाते हैं । विस्तृत जानकारी के लिए उपर्युक्त मानव संसाधन नीति परिपत्र स . 29/2019 की प्रतिलिपि

			संलग्न है। 3. इसी प्रकार उपर्युक्त मानव संसाधन नीति के अनुसार ओपन विज्ञापन के संदर्भ में वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से पुनर्नियोजन के चयन के मामलों में पैनलबद्ध रेलवे कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक जरूरत/फील्ड यूनिटों / परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।
3.	17		स्थानांतरण पत्र जारी होने पर कार्य स्थल से भार मुक्त किया जा सकता है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नही, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 04 पृष्ठ

26/5/21

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707